

माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक-9320 / 2021 आदेश दिनांक 10/05/2021 के माध्यम से 7 वर्ष तक की सजा से दण्डनीय विचाराधीन बंदियों से संबंधित प्रकरणों के संबंध में आदेश जारी किया गया है, जिसके तारतम्य में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, उज्जैन द्वारा दिये गये मौखिक निर्देशानुसार निम्नानुसार न्यायिक अधिकारीगण अपने-अपने न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकृति के प्रकरणों के साथ-साथ उनके नाम के सम्मुख अंकित न्यायालय में लम्बित उपरोक्त प्रकरणों का अवलोकन कर, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार उपरोक्त प्रकरणों की छंटनी करेंगे :—

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय का नाम जिनके प्रकरणों का अवलोकन करेंगे
1	श्रीमती तृप्ति पाण्डेय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन	1- श्रीमती साक्षी कपूर, जे०एम०एफ०सी०, उज्जैन 2- श्रीमती दीपा पोल, जे०एम०एफ०सी०, उज्जैन
2	श्री संकर्षण प्रसाद पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	1- श्री हेमंत मेहरा, जे०एम०एफ०सी०, उज्जैन 2- श्रीमती मीनू पचौरी, जे०एम०एफ०सी०, उज्जैन 3- सुश्री सोनाक्षी जोशी, जे०एम०एफ०सी०, उज्जैन
3	श्री अतुल यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	1- श्री राजेश नामदेव, जे०एम०एफ०सी०, उज्जैन 2- सुश्री फातिमा अली, जे०एम०एफ०सी०, उज्जैन 3- श्री दिलीप दुबे, जे०एम०एफ०सी०, उज्जैन
4	श्री वीरेन्द्र जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	1- श्री विनायक गुप्ता, जे०एम०एफ०सी०, उज्जैन 2- सुश्री सपना शिवहरे, जे०एम०एफ०सी०, उज्जैन 3- सुश्री रवीना चौधरी, जे०एम०एफ०सी०, उज्जैन
	तहसील तराना	उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (तहसील मुख्यालय पर स्थित समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालयों का)
	तहसील बड़नगर	
	तहसील महिदपुर	
	तहसील नागदा	
	तहसील खाचरौद	

(श्रीमती-तृप्ति पाण्डेय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उज्जैन (म0प्र0)